एक नजर में

टवीटा के पास ट्रेन से गिरकर ओडिशा के व्यक्ति की मौत

खतौली : टवीटा गांव के पास बुधवार रात ट्रेन से गिरकर ओडिशा निवासी 50 वर्षीय रंजीतनाथ की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक के निकट शव मिलने पर पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। जेब में मिले पहचान पत्र से मृतक की शिनाख्त रंजीतनाथ पुत्र मानूनाथ, निवासी बलांगिर, ओडिशा के रूप में हुई। उसके पास टिटलागढ़ से अंबाला कैंट तक का ट्रेन टिकट भी मिला। - संसू।

गोधना गांव के जंगल में गन्ने की फसल में लगी आग

पुरकाजी : गोधना गांव के जंगल में ईदगाह के पीछे स्थित खेत में खड़ी गन्ने की फसल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। गोधना गांव निवासी किसान जगतवीर व मनोज का आसपास ईख का खेत है। मंगलवार को अचानक खेत में आग लग गई। इस कारण जगतवीर की पांच व मनोज की तीन बीघा गन्ने की फसल जल गई। किसानों को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। -संसू।

पुल पर ट्रेलर ट्रैक्टर बाल-बाल बचे सवार

सिखेड़ा : सहारनपुर निवासी राकेश के परिवार के सदस्य ट्रेक्टर से कोटद्वार में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। गुरुवार को सिखेड़ा गांव के पास पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के पुल पर पहुंचते ही अचानक कार अनियंत्रित हो गई। इसके बाद कार कई पलटे खाते हुए सड़क पर जा पलटी। हादसे से अफरा-तफरी मच गई। - संसू।

खेत में खड़ी गन्ने की फसल में लगी आग

मीरापुर : तुलहेड़ी गांव निवासी मुहम्मद इसरार ने तहरीर में बताया कि उसके खेत से ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही है। गुरुवार को तारों से निकली चिंगारी से उसकी गन्ने की फसल में आग लग गई। पास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने इसकी सूचना पीड़ित को दी तथा आग बुझाने का प्रयास किया। - संसू।

फैसला : आगजनी और लूटपाट के मामले में पांच आरोपित दोषमुक्त

दर्ज कराया था मकान व मस्जिद में आगजनी का मुकदमा, न्यायालय में पक्षद्रोही हो गए थे तीन गवाह,अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका

मुजफ्फरनगर दंगा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: जिले में भड़के सांप्रदायिक दंगे के एक मामले में न्यायालय ने गांव मुंडभर में मकान और मस्जिद में आगजनी, लूटपाट के मामले में पांच आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। इस मुकदमे में गवाह पक्षद्रोही हो गए थे। अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध नहीं कर सका। जिस कारण न्यायालय ने सुनवाई के बाद गुरुवार को निर्णय सुनाया है।

सात दोषियों को हुई थी उम्रकैद

मलिकपुरा निवासी ममेरे-फुफेरे भाई सचिन और गौरव की हत्या के मुकदमे में गांव कवाल निवासी मुजस्सिम, मुजम्मिल, फुरकान, नदीम, जहांगीर, अफजाल और इकबाल सहित सात दोषियों को आठ फरवरी 2019 को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एक मुकदमे में कोर्ट ने आठ मई 2023 को सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों महेशवीर और सिकंदर को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी।

भौराकलां क्षेत्र के गांव मुंडभर में वादी शाहबुद्दीन ने दर्ज कराए मुकदमे में आरोप लगाया था कि आठ सितंबर 2013 की शाम छह बजे लगभग 50 लोग उसके घर में घुस आए थे। आरोप था कि हमलावरों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट कर सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लूट ली तथा मकान में आग लगा दी। इसके अलावा पास स्थित मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी कर चंदे के एकत्र लगभग एक लाख रुपये भी लूटकर फरार हो गए। इस मामले में 18 सितंबर 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद अनुज, अरविंद उर्फ विक्कू, नीटू, अंकित और रामकुमार के खिलाफ बलवा, लूटपाट, आगजनी, तोड़फोड़ और धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत विभिन्न धाराओं में आरोप-पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में मामले की लगभग 13 साल तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी शाहबुद्दीन, साजिद अली और आबिद अली को गवाह के रूप में पेश किया, लेकिन तीनों गवाहों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया और पक्षद्रोही हो गए। गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में पांचों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

ये था सांप्रदायिक दंगा: 27 अगस्त को जानसठ के गांव कवाल में शाहनवाज हत्याकांड के बाद ममेरे-फुफेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या के बाद जनपद में दंगे की चिंगारी सुलग उठी थी। सात सितंबर को महापंचायत से लौट रहे लोगों पर हमले किए गए। इसके बाद जनपद दंगे की आग में जल उठा। दंगे के दौरान 65 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, जबकि 50 हजार से अधिक लोग अपने गांव, बस्ती से पयालन कर शरणार्थी शिविर में रहने को विवश हो गए थे।

अभी चल रही 170 मुकदमों में सुनवाई: सात सितंबर 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 510 मुकदमे दर्ज हुए थे। जिनमें 175 मामलों में एसआइटी ने विवेचना कर आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जबकि 165 मामलों में साक्ष्य के अभाव में एफआर लगा दी गई।

झूठे पाए जाने पर 170 मुकदमे एक्सपंज (निरस्त) किए गए। 13 वर्ष के दौरान कोर्ट में 1,500 से अधिक गवाह दंगा आरोपित बरी हो गए। वर्तमान में 170 से अधिक मुकदमों की विभिन्न न्यायालयों में सुनवाई विचाराधीन है।

सड़क हादसे में घायल सेल्समैन की उपचार के दौरान मौत

संवाद सूत्र, जागरण● जानसठ: सिखेड़ा के पास पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पर बैठी गाय से स्कूटी टकराने पर शराब की दुकान का सेल्समैन गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरठ के सुभारती अस्पताल में उपचार के दौरान सेल्समैन की बुधवार को मौत हो गई।



अनिल ● सौ: स्वजन

मुजफ्फरनगर के मोहल्ला अबूपुरा निवासी 48 वर्षीय अनिल कश्यप जानसठ में खतौली तिराहा स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समैन था। सोमवार की रात वह स्कूटी से मुजफ्फरनगर जा रहा था। सड़क में बैठी गाय से उसकी स्कूटी टकरा गई थी। हादसे में वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया था। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया था।

पूर्व राज्यमंत्री सूरत सिंह वर्मा की पत्नी का निधन

जासं, मुजफ्फरनगर : पूर्व राज्यमंत्री चौधरी सूरत सिंह वर्मा की धर्मपत्नी कमलेश रानी (77 वर्ष) का गुरुवार को निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रही थीं। उनके देहावसान की सूचना पर लाल बाग, गांधी कालोनी स्थित आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिलदेव अग्रवाल समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की।



कमलेश देवी ●

पूजा-अर्चना के साथ पेराई सत्र का शुभारंभ

संवाद सूत्र, जागरण● बुढ़ाना : भैंसाना स्थित बजाज चीनी मिल के पेराई सत्र का आरंभ पूजा अर्चना के साथ किया गया। चीनी मिल के मंदिर प्रांगण में बुधवार को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जो गुरुवार सुबह तक चला। उसके बाद विधि-विधानपूर्वक हवन, पूजन एवं आरती का कार्यक्रम किया गया।

इकाई प्रमुख चंद्रवीर सिंह, मुख्य अतिथि गन्ना विकास सहकारी समिति के अध्यक्ष निर्भय सहरावत और एसडीआइजी गन्ना समिति संजय सिंह समेत किसान मौजूद रहे।

उसके बाद सभी ने केन कैरियर में गन्ना डालकर पेराई सत्र का विधिवत शुभारंभ किया। शुक्रवार को चीनी मिल गन्ना इंडेंट जारी करेगा और 11 नवंबर से चीनी मिल चालू की जाएगी।



चीनी मिल पर गन्ना डालकर पेराई सत्र का उदघाटन करते अतिथि व किसान ● जागरण

मारपीट और फायरिंग का आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण● खरौवाल : स्कूल से लौट रहे बच्चों के साथ गाली-गलौज, मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके साथ दो बाल अपचारियों को भी अभिरक्षा में लिया गया। आरोपित के कब्जे से एक तमंचा और तीन कारतूस बरामद हुए हैं।

सार्वजनिक सूचना

जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत मौ. तितेण्डा दत्त, पुत्र श्री शीशराम, निवासी मकान-711, गांधीनगर, कुटबा, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर, उ.प्र. के द्वारा ऑनलाईन-मानचित्र सं.-MDA2026158330 के द्वारा अपनी भूमि खाता-711, गांधीनगर, कुटबा, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर, उ.प्र. के कुल क्षेत्रफल 249.89 वर्गमी. में से रोड वाइडनिंग क्षेत्रफल 48.63 वर्गमी. छोड़ने के उपरान्त कुल नेट क्षेत्रफल 201.26 वर्गमी. पर मोटर वीकल्स सर्विस पार्टस के प्रयोजन का मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्नगत स्थल मजं.-711, गांधीनगर, कुटबा, तहसील-सदर, जिला-मुजफ्फरनगर मे भू-उपयोग मुजफ्फरनगर महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) के अनुसार आंशिक 40 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग से एवं अधिकांश आवासीय भू-उपयोग मे दर्शित है। उ.प्र. विकास प्राधिकरण भवन नियमन एवं विकास उपविधियों तथा अपर्त आंशिक रेगुलेशन-2025 के अध्याय-15 (आदर्श जोनिंग रेगुलेशन) के प्रस्तर 15.3.2 (सैटिंबस) के 2.2 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत मोटर वीकल्स सेपर पार्टस की क्रिया समान्तर अनुरूप उपयोग के अन्तर्गत अनुरूप है। जोनिंग रेगुलेशन/महायोजना के अनुसार प्रस्तुत भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित योजनाओं/सेक्टों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोगें (भले ही जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुरूप/सशर्त अनुमन्य हो) अनुमन्य किये जाने हेतु 15 दिवस की समयावधि प्रदान करते हुए उक्त से आपत्ति/सुझाव, यदि कोई हो तो अधोहस्ताक्षरी कार्यालय एवं इस अवधि में आपत्ति/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। सुझाव से सम्बन्धित आवेदन-पत्र का निस्तारण प्राप्ति की दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/संस्था/अन्य द्वारा अपनी आपत्ति/सुझाव प्रकाशन तिथि से 15 दिवस की अवधि के अन्तर्गत प्राधिकरण कार्यालय में ई-मेल (mdamzn@yahoo.co.in) अथवा उचित माध्यम से उपलब्ध कराये जा सकते हैं। उक्त निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

शराब को लेकर पत्नी से कहासुनी युवक ने फंदा लगाकर दी जान

संसू, सिखेड़ा : गांव बेहड़ा आरसा में गुरुवार शाम शराब के नशे में एक युवक ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी और बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को फंदे से नीचे उतारा। पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि गांव बेहड़ा आरसा निवासी 35 वर्षीय बिट्टू पुत्र देवेंद्र मजदूरी करता था और शराब पीने का आदी था। गुरुवार शाम करीब चार बजे वह शराब के नशे में घर पहुंचा। शराब पीने को लेकर उसकी पत्नी से कहासुनी हो गई। इसके बाद वह कमरे में चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। थाना प्रभारी ने बताया कि स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया है।



बिट्टू ● सौ. स्वजन

चेयरमैन व ईओ में चल रही खींचतान एक करोड़ के टेंडर हुए थे निरस्त

संवाद सूत्र, जागरण● चरथावल: नगर पंचायत चरथावल में विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था को लेकर चल रहे विवाद में प्रशासन ने अधिशासी अधिकारी राजीव कुमार का अक्टूबर माह का वेतन रोक दिया है। डीएम समेत उच्चाधिकारियों से चेयरमैन ने शिकायत की थी। दोनों के बीच काफी समय से खींचतान चल रही है। चेयरमैन की बगैर अनुमति ईओ ने एक करोड़ रुपये के टेंडर निरस्त कर दिए थे। बोर्ड बैठक में दोनों के बीच विवाद हुआ था।

नगर पंचायत अध्यक्ष मास्टर इस्लामुद्दीन ने ईओ पर विकास कार्यों में बाधा डालने और सफाई व्यवस्था को अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए शासन-प्रशासन से शिकायत की थी। आरोप था कि नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए करीब एक करोड़ रुपये के टेंडर किए गए थे, जिन्हें ईओ ने उनकी अनुमति के बिना निरस्त कर दिया था। उन्होंने अन्य निकायों में विकास कार्यों के टेंडर जारी होने का हवाला देते हुए चरथावल में विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही थी। वहीं, दो वर्षों से टैक्स वसूली नहीं होने का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत को करीब चार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का दावा भी किया था।

सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि ईओ नियमित रूप से कस्बे का न ही भ्रमण करते और न ही चल रहे कार्यों का निरीक्षण करते हैं। चेयरमैन ने मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री, नगर विकास सचिव, प्रमुख सचिव और डीएम-एडीएम प्रशासन को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की थी।

राजवीर सिंह निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष

पुरकाजी : उत्तर प्रदेशीय सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक कल्याण परिषद की पुरकाजी इकाई की द्विवार्षिक कार्यकारिणी के गठन के लिए बीआरसी पुरकाजी में बैठक हुई। इसमें क्षेत्र के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी गठित की गई और राजवीर सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। शिक्षकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षक समाज की अमूल्य धरोहर हैं। बैठक में आनंद शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, धर्मवीर सिंह, हरिराज और पवन सिंह आदि मौजूद रहे।

फॉर्म नं. 14
[नियम 32(2) देखें]

ऋण वसूली न्यायाधिकरण देहरादून

पारस टॉवर, दूसरी मंजिल, माजरा निर्देशनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

आर.सी. नं. 303/2026 दिनांक: 10.09.2026

पंजाब नेशनल बैंक सर्टिफिकेट धारक
बनाम
मेसर्स मधुमती एग्रो (ओपीसी) प्रा.लि. कंपनी एवं अन्य प्रमाणपत्र देनदार
मांग सूचना

सेवा में,

सीडी-1 मेसर्स मधुमती एग्रो (ओपीसी) प्रा.लि. कंपनी और अन्य अपनी निदेशक सुश्री कीर्ति त्यागी के माध्यम से इसका पंजीकृत कार्यालय 530, उत्तरी सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश है।

वैकल्पिक पता: खसरा नंबर 987/1 ग्राम मुबारिकपुर, ग्राम हजूर नगर रोड की ओर, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश।

सीडी–2 सुश्री कीर्ति त्यागी पुत्री श्री सुरेंद्र त्यागी, निवासी 530, नॉर्थ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश।

वैकल्पिक पता: खसरा नंबर 987/1 ग्राम मुबारिकपुर, ग्राम हजूर नगर रोड की ओर, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश।

वैकल्पिक पता: महावीर एन्कालप्ते, रुड़की, उत्तराखंड–247667

वैकल्पिक पता: झाबरा रोड, सरकड़ी, देवबंद, सहारनपुर– 247551, उत्तर प्रदेश।

सीडी–3 ब्रज नंदन पुत्र श्री सूरज भान, निवासी 530, नॉर्थ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश।

3/1, अंबरीश कुमार पुत्र स्व. ब्रज नंदन, निवासी 530, उत्तरी सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश।

डीआरटी, देहरादून के पीठासीन अधिकारी द्वारा ओ.ए. नं. 708/2024 में जारी रिकवरी सर्टिफिकेट के अनुसार, आप पर रुपये 85,71,869/– (अस्सी लाख इकहत्तर हजार आठ सौ उनहत्तर रुपये) की राशि देय है। इसके साथ ही, 23.11.2024 से पूरी वसूली होने तक, ब्याज भी देय होगा, पहले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत, अगले एक वर्ष के लिए 8 प्रतिशत, और दूसरे वर्ष के बाद शेष राशि पर 11.00 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। इसके अतिरिक्त, 1,50,025/– रुपये की लागत भी आप पर देय है।

क्र. सं.	सीडी का नाम	राशि	देयता
1	**सीडी–1 मेसर्स मधुमती एग्रो (ओपीएस) प्रा.लि. कंपनी और अन्य,** अपनी निदेशक सुश्री कीर्ति त्यागी के माध्यम से। पंजीकृत कार्यालय: 530, नॉर्थ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश। वैकल्पिक पता: खसरा संख्या 987/1, ग्राम मुबारकपुर, हजूर नगर रोड की ओर, मुजफ्फरनगर – 251001, उत्तर प्रदेश।	रुपये 85,71,869	संयुक्त रूप से और अलग–अलग
2	**सीडी–2 सुश्री कीर्ति त्यागी पुत्री श्री सुरेंद्र त्यागी,** निवासी: 530, नॉर्थ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश। वैकल्पिक पता: खसरा संख्या 987/1, ग्राम मुबारकपुर, हजूर नगर रोड की ओर, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश। वैकल्पिक पता: महावीर एन्कलेव, रुड़की, उत्तराखंड–247667 वैकल्पिक पता: झाबरा रोड, सरकड़ी, देवबंद, सहारनपुर– 247551, उत्तर प्रदेश।	रुपये 85,71,869	रुपये संयुक्त रूप से और अलग–अलग
3.	**सीडी–3 ब्रज नंदन पुत्र श्री सूरज भान,** निवासी 530, नॉर्थ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर–251001, उत्तर प्रदेश (कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से) । 3/1. अम्बरीश कुमार, पुत्र स्व. श्री ब्रज नंदन, निवासी 530, नॉर्थ सिविल लाइन्स, मुजफ्फरनगर – 251001, उत्तर प्रदेश।	रुपये 85,71,869	विरासत में मिली संपत्ति की सीमा तक सीमित

आपको सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करें। ऐसा न करने पर, नियमों के अनुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

आपको आदेश दिया जाता है कि आगे की कार्यवाही के लिए **21.11.2026 को सुबह 10:30** बजे अधोहस्ताक्षरी (नीचे हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी) के समक्ष उपस्थित हों।

उपरोक्त राशि के अलावा, आपको निम्नलिखित का भुगतान भी करना होगा:
अ. इस नोटिस की जारी होने के तुरंत बाद की अवधि के लिए देय ब्याज।
ब. इस नोटिस की तामील (सर्विस) और बकाया राशि की वसूली के लिए की जाने वाली अन्य सभी प्रक्रियाओं में हुआ खर्च और शुल्क।

रिकवरी ऑफिसर
डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, देहरादून

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
..... भरोसे का प्रतीक! ... the name you can BANK upon!

ARMB: सर्किल कार्यालय भवन #प्लॉट नं. 01, शाकुंतलम आवास विकास कॉलोनी सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर (यू.पी.) E-Mail: cs8284@pnb.bank.in

परिशिष्ट - IV-A [नियम 8 (6) SARFAESI, 2002 का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना -

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए। इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित है, जिसका सांकेतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उसे ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) से सुरक्षित लेनदार को देय राशि की वसूली के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है वैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा (EMD) संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होंगे।

सुरक्षित आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता / गारंटरों का नाम और पता	गिरवी रखी गई चल और अचल संपत्ति का विवरण / मालिक का नाम (संपत्ति / संपत्तियों के गिरवी रखने वाले)	A) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख B) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि C) 30.04.2026 तक वर्तमान बकाया राशि D) SARFAESI Act 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारीख E) कब्जे का प्रकार: सांकेतिक / भौतिक / रचनात्मक	a) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) b) EMD c) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि / समय	भारों का विवरण जो सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात हैं
1.	1. श्री अकरम पुत्र श्री असगर (उधारकर्ता) 2. श्री जयपाल सिंह पुत्र श्री राम सिंह (गारंटर) 3. मो. अशफाक पुत्र श्री सईद अहमद (गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है। **बीओ: जलालाबाद** SOL ID: 071000	श्री अकरम पुत्र श्री असगर के नाम पर आवासीय मकान, जो खसरा नंबर 1189, गाँव हसनपुर लुहारी, जलालाबाद, परगना थानाभवन, तहसील शामली, जिला शामली, यूपी में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 327.60 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी 29.12.2018 को सब–रजिस्ट्रार शामली के ऑफिस में बही 1, वॉल्यूम नंबर 6292, पेज नंबर 199 से 222 पर सीरियल नंबर 14489 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: प्लॉट सऊद, पश्चिम: प्लॉट अकरम और इरफान, उत्तर: 5 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण: प्लॉट हनीफ और मस्जिद।	A) 04.07.2024 B) Rs. 35,82,115.55 दिनांक 31.05.2024 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 45,22,674.55 + 01.11.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 21.09.2024 E) सांकेतिक कब्जा	a) 42.30 लाख रुपये b) 4.23 लाख रुपये c) 0.50 लाख रुपये	26.11.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
2.	1. मेसर्स अनुराग ट्रेडिंग प्रो. अनुराग त्यागी (उधारकर्ता) 2. श्री अनुराग त्यागी पुत्र श्री हरिओम त्यागी (उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर) 3. श्रीमती अवि त्यागी पत्नी श्री अनुराग त्यागी (गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है। **बीओ: कोर्ट रोड मुजफ्फरनगर** SOLID: 182100	श्री अनुराग त्यागी पुत्र श्री हरिओम त्यागी के नाम पर कमर्शियल प्रॉपर्टी नंबर 83/83 (नया नंबर 41–डी), सेवक आश्रम रोड, नगर निगम क्षेत्र देहरादून, जिसका क्षेत्रफल 115.29 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी सब–रजिस्ट्रार देहरादून के ऑफिस में बही नंबर 1, जिल्द नंबर 8304, पेज नंबर 273 से 298, रजिस्ट्रेशन सीरियल नंबर 1249 दिनांक 10.03.2023 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: श्री रावत और अन्य की प्रॉपर्टी, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: श्री शम्मी मोहन की प्रॉपर्टी, दक्षिण: श्री ओंकार सिंह त्यागी की प्रॉपर्टी। नोट: प्रॉपर्टी की सीमाएँ तय नहीं हैं। यह प्रॉपर्टी एक दूसरी प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है।	A) 03.11.2025 B) Rs. 88,31,361.82 दिनांक 31.10.2025 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 96,46,901.63 + 01.11.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 19.01.2026 E) सांकेतिक कब्जा	a) 81.00 लाख रुपये b) 8.10 लाख रुपये c) 1.00 लाख रुपये	18.12.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
3.	श्री अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद (उधारकर्ता) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है। **बीओ: मुजफ्फरनगर हनुमान चौक SOL ID: 159100**	श्री अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद के नाम पर रिहायशी मकान, जो मोहल्ला लहावाला उत्तरी, तहसील और जिला मुजफ्फरनगर, यूपी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 53.68 वर्ग मीटर है। यह प्रॉपर्टी सब–रजिस्ट्रार मुजफ्फरनगर के ऑफिस में बही नंबर 2, खंड 958, पेज नंबर 185 से 190 पर सीरियल नंबर 3263 तारीख 16.05.1997 के तहत रजिस्टर्ड है और इसके बाद साल 2017 के कोर्ट ऑर्डर नंबर 449 के अनुसार यह प्रॉपर्टी श्री अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री रमेश चंद के नाम पर ट्रांसफर हो गई। **प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व:** 12 फीट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** नाला, **उत्तर:** श्रीपाल का घर, **दक्षिण:** राजेंद्र कुमार का घर।	A) 16.10.2025 B) Rs. 25,55,622.26 दिनांक 30.09.2025 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 27,38,136.07 + 01.11.2026 से आगे का ब्याज + कानूनी और अन्य खर्च D) 26.05.2026 E) सांकेतिक कब्जा	a) 21.10 लाख रुपये b) 2.11 लाख रुपये c) 0.25 लाख रुपये	26.11.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
4.	1. हैदर अली खान पुत्र आसिफ अली खान (उधारकर्ता / बंधककर्ता) 2. जैबा खान पत्नी आसिफ अली खान (सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता) 3. अजमत अली पुत्र शौकत अली (गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है। **बीओ: बघरा** SOLID: 476400	हैदर अली खान पुत्र आसिफ अली खान और जैबा खान पत्नी आसिफ अली खान के नाम पर मकान, जिसका क्षेत्रफल 129.30 वर्ग मीटर है। यह मकान नंबर 96/28, मोहल्ला कृष्णापुरी, साउथ खलापार, मुजफ्फरनगर में स्थित है। सेल डीड के अनुसार सीमाएँ: पूर्व: श्री. आरिफ का मकान, पश्चिम: दूसरों की प्रॉपर्टी, उत्तर: दूसरों की प्रॉपर्टी, दक्षिण: 12'3' चौड़ी सड़क।	A) 29.11.2022 B) Rs. 13,17,223.00 दिनांक 01.11.2022 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 18,75,078.00 + 01.11.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 03.03.2023 E) सांकेतिक कब्जा	a) 26.00 लाख रुपये b) 2.60 लाख रुपये c) 0.30 लाख रुपये	26.11.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	कोई ज्ञात नहीं
5.	1. मेसर्स शुद्ध वेल्थी आइसक्रीम प्रोप. हैदर अली खान (उधारकर्ता) 2. हैदर अली खान पुत्र आसिफ अली खान (उधारकर्ता / बंधककर्ता) 3. जैबा खान पत्नी आसिफ अली खान (सह–उधारकर्ता / बंधककर्ता) 4.अजमत अली पुत्र शौकत अली(गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है।	**जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसे हैदर अली खान और जैबा खान के हाउसिंग लोन के लिए गिरवी रखा गया है।**	A) 08.10.2021 B) Rs. 9,47,991.10 दिनांक 30.09.2021 तक + ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 14,18,044.10 + 01.11.2026 से ब्याज + कानूनी व अन्य खर्च D) 27.12.2021 E) सांकेतिक कब्जा			
6.	1. मेसर्स इमरान अली कॉन्ट्रैक्टर, प्रो. इमरान अली पुत्र रमजानी (उधारकर्ता) 2. इमरान अली पुत्र रमजानी उर्फ जानी (उधारकर्ता) 3. रमजानी उर्फ जानी पुत्र मकमुला (गारंटर) 4. शकीला पत्नी रमजानी उर्फ जानी (गारंटर) पता: जैसा कि ऊपर बताया गया है। **बीओ: कैराना** **SOL ID: 302300**	श्री रामजानी उर्फ जानी पुत्र श्री मकमूला और श्रीमती शकीला पत्नी श्री रामजानी उर्फ जानी के नाम पर रिहायशी मकान, जो आबादी बींदा रोड, कैराना, परगना और तहसील कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश में स्थित हैय इसका क्षेत्रफल 351.62 वर्ग मीटर है। यह सब–रजिस्ट्रार कैराना, जिला शामली के ऑफिस में सेल डीड नंबर 5319 तारीख 09.09.1991 के तहत बही नंबर 1, जिल्द नंबर 1905, पेज 267–269 पर रजिस्टर्ड है। प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: नसीम का घर, पश्चिम: 10.5 फीट चौड़ा रास्ता / गली, उत्तर: जाहिद का घर, दक्षिण: मुस्तकीम का घर।	A) 09.03.2022 B) Rs. 21,27,272.88 दिनांक 18.12.2018 तक + आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, यदि कोई हो C) Rs. 57,82,575.88 + 01.11.2026 से आगे का ब्याज